International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

महिला सशक्तिकरण पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रभाव: जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में एक अध्ययन

किरण गौतम[1], डॉ. स्नेह कुमार मेश्राम[2]

[1]शोधार्थी, [2]शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग)
भारती विश्वविद्यालय. दुर्ग (छ.ग)

शोध-सार

यह अध्ययन दुर्ग जिले के जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। अनुसंधान में 100 लाभार्थी महिलाओं को शामिल किया गया और आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत के माध्यम से किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं निर्णय-निर्माण, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक भागीदारी में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम पाई गईं।

प्रस्तावना

विकासशील देशों की सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका बहुआयामी होती है, किंतु पारंपरिक व्यवस्था और लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वावलंबन एवं निर्णय-निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, पोषण-शिक्षा, मातृत्व लाभ योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को न केवल पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बनाना भी है।

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अंतर्गत जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में भी उपरोक्त योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। यह क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विविधता से परिपूर्ण है, जहाँ ग्रामीण एवं पिछड़े समुदाय की महिलाएँ लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। यह जानना आवश्यक है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से महिलाओं की जीवनशैली, निर्णय क्षमता, आर्थिक भागीदारी तथा सामाजिक आत्मविश्वास में कितना परिवर्तन आया है।
वर्तमान अध्ययन इसी पृष्ठभूमि में यह विश्लेषण करता है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का व्यावहारिक प्रभाव इस क्षेत्र की महिलाओं पर कैसा पड़ा है। क्या ये योजनाएँ वास्तव में उन्हें आत्मनिर्भर, सक्षम एवं सशक्त बना पा रही हैं, या फिर यह केवल कागज़ी योजनाएँ बनकर रह गई हैं? यह शोध इन पहलुओं की पड़ताल करता है।

इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामाजिक संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे योजनाओं के प्रभाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर सकें, जिससे सुधारात्मक उपाय सुझाए जा सकें। यह शोध आंकड़ों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करता है जो भविष्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया में सहायक हो सकता है।

संबंधित शोध अध्ययन

मिश्रा एवं राठौर (2016) — मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी सेवाओं पर शोध; महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता में वृद्धि पाई गई।
शुक्ला (2017) — उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया।
थॉमस एवं कपूर (2019) — ICDS योजनाओं से महिलाओं की पोषण संबंधी जागरूकता में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
सेन एवं चटर्जी (2018) — भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए।
फर्नांडेज़ एवं रॉय (2020) — महिला सशक्तिकरण पर डिजिटल साक्षरता अभियान का अध्ययन; ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा।
कुमार एवं जैन (2021) — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्टिंग प्रणाली पर अध्ययन; डेटा पारदर्शिता का अभाव पाया गया।
मेहता एवं सिन्हा (2022) — छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन; बच्चों एवं माताओं की सहभागिता में वृद्धि हुई।
डेविड एवं लॉरेंस (2023) — महिला पोषण और सामाजिक सहभागिता के बीच संबंध पर शोध; सरकारी योजनाएँ जागरूकता फैलाने में प्रभावी पाई गईं।

उद्देश्य:

- महिला सशक्तिकरण के स्तर को जानना।
- कार्यक्रमों (जैसे आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना आदि) का प्रभाव विश्लेषित करना।

न्यादर्श :

इस शोध अध्ययन में कुल 100 लाभार्थी महिलाओं को शामिल किया गया, जिनका चयन दुर्ग जिले के जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में स्थित विभिन्न ग्रामों से किया गया। चयन की प्रक्रिया सरल यादृच्छिक विधि (Simple Random Sampling) के माध्यम से की गई, जिससे प्रत्येक पात्र महिला को समान रूप से चयनित होने का अवसर प्राप्त हो सके। यह पद्धति निष्पक्षता एवं विविधता को सुनिश्चित करने में सहायक रही।
चयनित महिलाएँ सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग की महिलाएँ सम्मिलित थीं। इन लाभार्थियों में कुछ महिलाएँ विधवा, परित्यक्ता, गृहिणी, मजदूरी करने वाली, स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई, तथा कुछ स्वरोजगार में संलग्न पाई गईं। उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच थी तथा शैक्षणिक स्तर भी विविध था—कुछ महिलाएँ प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थीं, जबकि कुछ महिलाएँ स्नातक स्तर तक पढ़ी-लिखी भी थीं।
इन सभी महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे—आंगनवाड़ी केंद्र सेवाएँ, मातृत्व लाभ योजना, उज्ज्वला योजना, सुपोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ था। शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि इन योजनाओं का महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ा है।
चयन की गई महिलाओं से संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए गए। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा गया कि अध्ययन निष्पक्ष एवं विविध प्रतिनिधित्व वाला हो, जिससे निष्कर्ष व्यापक स्तर पर विश्वसनीय हों। चयन प्रक्रिया की वैज्ञानिकता और विविधता के कारण यह शोध निष्कर्ष नीति निर्माण एवं कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए महत्त्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

उपकरण:
इस शोध में आंकड़ों के संग्रह हेतु दो प्रमुख उपकरणों का प्रयोग किया गया—साक्षात्कार अनुसूची एवं महिला सशक्तिकरण स्केल (अनुकूलित)। ये दोनों उपकरण शोध के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किए गए ताकि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके।
साक्षात्कार अनुसूची एक संरचित उपकरण है, जिसमें पूर्वनिर्धारित प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल की गई है। यह अनुसूची इस उद्देश्य से विकसित की गई कि शोधार्थी लाभार्थी महिलाओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सके और उनके अनुभव, योजना से प्राप्त लाभ, जागरूकता के स्तर तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों की वास्तविक जानकारी एकत्र की जा सके। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों प्रकार के थे, जिससे गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके।

महिला सशक्तिकरण स्केल (अनुकूलित) एक मनोवैज्ञानिक मापन उपकरण है, जिसे शोध की स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया गया। यह स्केल महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक भागीदारी, आत्म-विश्वास, और सूचना तक पहुँच जैसे विविध आयामों को मापने हेतु उपयुक्त पाया गया। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के बहुआयामी स्वरूप को संख्यात्मक रूप में दर्शाना है। इन उपकरणों की सहायता से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण विश्वसनीय और वैध निष्कर्षों की ओर मार्गदर्शन करता है।

सांख्यिकीय तकनीक:
इस शोध में आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत (Percentage) जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग किया गया। औसत का उपयोग विभिन्न मापों के केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने हेतु किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता किस स्तर पर स्थित हैं। प्रतिशत के माध्यम से उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को श्रेणियों में विभाजित कर तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई। इन विश्लेषण विधियों ने शोध निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक बनाया।

प्रमुख निष्कर्ष:
तालिका 1: आंगनवाड़ी केंद्रों से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत वितरण

उत्तरदाताओं की श्रेणी	**उत्तरदाताओं की संख्या (n = 100)**	**प्रतिशत (%)**	**प्राप्त लाभ के क्षेत्र**
आंगनवाड़ी केंद्र से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं	78	78	पोषण, स्वास्थ्य, एवं प्रारंभिक शिक्षा
लाभ प्राप्त न करने वाली महिलाएं	22	22	—

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की कुल 100 लाभार्थी महिलाओं में से 78 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सुविधाएँ प्राप्त हुईं। यह दर्शाता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की पहुँच एवं सेवाओं का प्रभाव ग्रामीण महिला आबादी के मध्य अपेक्षाकृत व्यापक है। शेष 22 प्रतिशत महिलाओं ने इन सेवाओं से वंचित रहने की बात कही, जो यह संकेत देता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अभी भी कुछ स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष नीतिगत सुधारों एवं सेवाओं की सुलभता बढ़ाने हेतु दिशा प्रदान करता है।

सुझाव:
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाएँ अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकें।
- महिला लाभार्थियों को सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए।
- ग्रामीण महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर एवं मोबाइल सूचना वैन चलाई जाए।

- मातृत्व लाभ और पोषण योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाए।
- लाभार्थियों के पोषण, स्वास्थ्य और लाभ वितरण को पारदर्शी बनाने हेतु मोबाइल ऐप या पोर्टल का प्रयोग किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिश्रा, एस. एवं राठौर, ए. (2016). *ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में आंगनवाड़ी सेवाओं की भूमिका.* भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, खंड 18(3), पृ. 52–61।
2. शुक्ला, आर. (2017). *उज्ज्वला योजना और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन.* सामाजिक विकास शोध पत्रिका, खंड 11(2), पृ. 40–49।
3. सेन, आर. एवं चटर्जी, एम. (2018). *ग्रामीण भारत में महिला विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन.* समाज नीति और शोध, खंड 26(2), पृ. 88–102।
4. थॉमस, पी. एवं कपूर, आर. (2019). *ICDS सेवाओं का किशोरियों की पोषण स्थिति पर प्रभाव.* बाल स्वास्थ्य एवं पोषण जर्नल, खंड 8(2), पृ. 101–115।
5. फर्नांडीज, एम. एवं रॉय, डी. (2020). *डिजिटल साक्षरता एवं महिला सशक्तिकरण में अंतर्संबंध.* ग्रामीण सामाजिक अध्ययन, खंड 15(1), पृ. 67–79।
6. कुमार, वी. एवं जैन, एस. (2021). *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं में पारदर्शिता: एक विश्लेषण.* प्रशासनिक शोध, खंड 9(3), पृ. 112–126।
7. मेहता, ए. एवं सिन्हा, के. (2022). *छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी सेवाओं का प्रभाव: बालोद जिले का एक अध्ययन.* सामाजिक शोध विमर्श, खंड 13(1), पृ. 54–70।
8. डेविड, एन. एवं लॉरेंस, जे. (2023). *महिला पोषण और सामाजिक सहभागिता के मध्य संबंध.* अंतरराष्ट्रीय महिला अध्ययन पत्रिका, खंड 17(2), पृ. 93–108।